120

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1523-दो/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 3-8-2006 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 90/2005-06 अपील

1- रामसेवक पुत्र माताप्रसाद
ग्राम नन्द का पुरा तहसील पोरसा
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामशॅकर 2- रामनिवास
3- रामदास पुत्रगण माता प्रसाद
4- श्रीमती शैला पत्नि माताप्रसाद
ग्राम नन्द का पुरा तहसील पोरसा
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 20 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 90/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कस्वा पोरसा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 809 मिन 5 रकबा 0.039 हैक्टर, ग्राम नन्द के पुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 284,300,325,326,358,430, 468, 469 कुल किता 8 कुल रकबा 3.32 हैक्टर के आवेदक एंव अनावेदकगण सहभूमिस्वामी है। पक्षकारों व्दारा तहसीलदार पोरसा के समक्ष उक्तांकित भूमि का बटवारा किये जाने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण क्रमांक 42/2002-03 अ 27 पंजीबद्व किया एंव हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28-7-2003 से बटवारा स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 135/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-2005 से अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 90/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2006 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार पोरसा व्दारा प्र0क्र0 42/2002-03 अ-27 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2003 के विरूद्व अनुविभागीय

अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील दिनांक 10-2-2005 को अर्थात एक वर्ष छै माह वाद प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20-12-2005 के पद- 6 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपीलांट रामसेवक एंव रिस्पाण्डेन्ट क्रमांक 1, 2, 3 क्रमशः रामशॅकर, रामनिवास, रामदास व्दारा तहसील न्यायालय में नियुक्त किये गये अभिभाषक श्री रामनिवास कटारे ने तहसीलदार का आदेश दिनॉक 28-7-2003 इसी दिन टीप किया है और अभिभाषक को आदेश की जानकारी यथासमय होना, यही माना जावेगा कि पक्षकारों को आदेश की जानकारी 28-7-2003 को हो चुकी है। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह व्दारा आदेश दिनांक 20-12-2005 में तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2006 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2006 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर